



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002
दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक: 730/मा०सं०एवंप्र०अनु०/पिटकुल/जी-4

दिनांक: 06.07.2020

विषय :- कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न मानक प्रचालन विधि (एस०ओ०पी०) के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता
पिटकुल।

कृपया उपरोक्त विषयक उप सचिव, ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 505/1(2)/2020-05-13/2020 दिनांक 25.06.2020 के द्वारा प्रेषित मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 205/USDMA 792(2020) टी.सी. दिनांक 26.05.2020 की छायाप्रति आपको इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि उक्त पत्रों में दिये गये दिशा-निर्देशों का स्वयं अनुपालन करते हुये अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों को भी अपने स्तर से दिशा-निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

सलग्नक:- यथोपरि।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: /मा०सं०एवंप्र०अनु०/पिटकुल/जी-4 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (वित्त)/परिचालन/परियोजना/मा०सं०, पिटकुल, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को संलग्नकों सहित पिटकुल की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या- 505 /1(2)/2020-05-13/2020

No. 1320/IMD/PTCULI/61...Dt. 01-7-2020

Dir(HR)

प्रेषक,

प्रकाश चन्द्र जोशी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उपाकालि/पिटकुल/यूजेवीएन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 25 जून, 2020

विषय- कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न मानक प्रचालन विधि (एस0ओ0पी0) के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0/205 USDMA 792(2020) टी.सी. दिनांक 26.05.2020 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र में दिये गये बिन्दुओं के आधार पर यथा संशोधित एस0ओ0पी0 (मानक प्रचालन विधि) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

श्री कमल/चन्द्र दर्शन का.अधी-I

श्रीमती दीपा रानी/ममता/

श्री विपिन/इमरान, का.सहा.-I

श्रीमती रीना, का.सहा.-III

कैम्प कार्या0-निदे0(मा0सं0)

कृपया दि0.....को.....बजे

घर्या करें।

कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।

निदेशक (मा0सं0)

HR/Admin./PTCULI/D.Dun

Diary No. 962

File

Date 01/07/2020

Received on 2/7/20
at 5:05 pm
Calt

कार्यालय में पत्र प्राप्ति की तिथि

01-7-2020

कार्यालय निदेशक (मा0सं0)

पत्र प्राप्ति की दिनांक 02/07/20 समय 12:50 PM

द्वार्या संख्या 797

5-5/(2)/2020

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

सचिवालय परिसर, देहरादून

संख्या-205 USDMA-792(2020)TC

देहरादून : दिनांक 26 मई, 2020

23/5/Sec. E/2020
As/50(142) Energy
2/5/20

आदेश

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न मानक प्रचालन विधि (एसओपीओ) तैयार की गई है। उक्त के संदर्भ में मानक प्रचालन विधि (SoP for passengers of Domestic Flights; SoP for Interstate & Intrastate movement of stranded persons; SoP for Interstate movement of stranded persons by trains) में निम्नलिखित बिन्दुओं को समावेशित किया जाना प्रस्तावित है :-

- Only for exceptional and compelling reasons such as cases of pregnancy, death in family, serious illness, senior citizen above 65 years of age and parent (s) accompanied by children below 10 years, as assessed by the State Nodal Officers/ District Nodal Officers in co-ordination with Health Authorities, home quarantine may be permitted for 14 days to all asymptomatic passengers, subject to compliance of all norms of social distancing and safety (as per MoHFW, MHA and state govt. guidelines). Arogya Setu app shall be mandatory in all such cases.

उक्त समावेशित बिन्दुओं के आधार पर यथा संशोधित एसओपीओ (मानक प्रचालन विधि) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। शेष आदेश तथा निर्गत दिशा निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय,

श्री जीतेश
20/5/20

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, माओ मुख्यमंत्री को माओ मुख्यमंत्री महोदय के सज्ञानार्थ।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. मण्डल आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल।
5. स्थानीक आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. आयुक्त सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित गाई फाईल।

(उत्पल कुमार सिंह)